(225)

संख्याः24 / P / XXIV-3/11/03(13)11

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 21 जुलाई 2011

विषयः– राजकीय इन्टरमीडिएट कालेज, रूद्रप्रयाग, जनपद रूद्रप्रयाग के भवन निर्माण के प्रथम चरण के कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5ख (2) / 13636 / जीर्ण–शीर्ण / 2011–12 दिनांकः 03 जून, 2011 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय इन्टरमीडिएट कालेज, रूद्रप्रयाग, जनपद रूद्रप्रयाग के भवन निर्माण के प्रथम चरण के कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा गठित आंगणन के सापेक्ष औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 1.04 लाख पर वित्तीय एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए तथा उक्त धनराशि रू0 1.04 लाख (रूपये एक लाख चार हजार मात्र) को आपके निवर्तन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः–

1. वित्त विभाग के आदेश संख्याः 475 / XXVII (1)/2008, दिनांकः 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण एजेन्सी से एम0ओ0यू0 अवश्य किया जाय।
2. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता / सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
5. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल की भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।
6. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047 / XIV–219 (2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
7. यदि विभिन्न मदों हेतु धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आंगणन में समायोजित की जाय।

8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 202–माध्यमिक शिक्षा, 00–आयोजनागत, 11–राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्ण–शीर्ण भवनों का निर्माण, 24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 88 (P)XXVII(3)2011-12 दिनांकः 30 जून, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकनसंख्याः 24(17)/P /XXIV-3/11/ 03(13)11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
6– अपर सचिव,मा0 मुख्यमंत्री,मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4 (घोषणा अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन।
7– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
9– कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
10– जिला शिक्षा अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
11– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संशाधन निदेशालय सचिवालय।
12– वित्त विभाग(अनुभाग–3)/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
13– कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग।
14– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
15– सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी।
16– भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
17– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0पी0तिवारी)
अनुसचिव।